Need to reduce GST rate on Self-Insurance Scheme-Laid

श्री श्रीरंग आप्पा चंदू बारणे **(**मावल**) :** देश में बड़ी संख्या में नागरिक, संस्थाएँ, गैर-लाभकारी संस्थाएँ, स्व-बीमा योजना (Self-Insurance Scheme) का उपयोग करती हैं । यह योजना उनके संसाधनों की सुरक्षा और जोखिम प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण साधन है । जबकि वर्तमान में इस योजना पर 18% जीएसटी (GST) लागू किया जा रहा है, जो न केवल देश के नागरिकों, संस्थाओं और पर वित्तीय भार बढ़ा रहा है, बल्कि उन्हें इस योजना से दूर कर रहा है । यह उच्च टैक्स की दर उन सभी के लिए चुनौतीपूर्ण है जो सीमित संसाधनों पर काम करती हैं जैसे कि कम आय वाले नागरिक, शैक्षणिक संस्थाएँ, धर्मार्थ संगठन और सामाजिक कार्य में लगी अन्य संस्थाएँ । इस स्व-बीमा योजना पर 18% जीएसटी को घटाकर 0-5% करना आवश्यक है ।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि स्व-बीमा योजना में जीएसटी की दर में कटौती इस पर जीएसटी को 18 प्रतिशत घटाकर 0-5% किया जाए ।